

पच्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फाइल नं० 241/2022

1. वेदप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. दशरथ पुत्र पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील संजय शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी वेदप्रकाश को वंकांन० 3 सीडीआर के पं०न० 224/225 मु० 54 किला नं० 5/2/.083, 5/3/009 है० गै०मु० रास्ता, 6/1/.190, 6/2/.025 है० गै०मु० सस्ता, पं०न० 225/225 मु० 55 किलानं० 1/2/.117, 2/.253, 3/.118 है० दक्षिणी दिशा, 4/.117 है० दक्षिणी दिशा, 7/1/.013, 8/1/.063, 9/1/.101, 10/.152 है० भूमि का वादी वेदप्रकाश का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे, तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरागद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह पच्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी